

प्रगतिवाद बाल विकास योजना

प्रधान कार्यालय : पुराना कोर्ट कैम्पस, कासमिरी गेट दिल्ली - 110006

कार्यालय : प्रिपरा याजार, सपील - 852218

E-mil: info@pwbvyindia.org.

Website: www.pwbvyindia.org

iia: PMBVY/405/BR22

दिनांक: 21-अर्जेिल-2022

रोवा में

जिला समाहर्ता

ाहर्ता २५ १/

जला मुर्वा

विषय:- प्रगतिवाद बाल विकास ट्रस्ट संस्था द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में चलाये जा रहे विभिन्न कार्यकर्मी में प्रोत्साहन करने के संबंध में।

मोहदय , हमारी संस्था प्रगतिवाद बाल विकास ट्रस्ट भारतीय ट्रस्ट अधिनियम-१८८२ के अंतर्गत दिल्ली से अखिल

भारतीय रतर पर पंजीकृत है। जिसकी पंजीयन संख्या ११० है। बिहार प्रदेश में मुख्य शाखा कार्यालय—वार्ड नंबर—04,सुपौल,बिहार—८७२१३१ में स्थित है। हमारी संस्था का मुख्य उदेश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा बढ़ावा देना और सामाजिक कल्याण कार्य करना। जिसके अंतर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिले कें विभिन्न पंचायतों में निम्नलिखत कार्यक्रम चला रही है। इस संबंध में आप से अनुरोध है की आप अपने स्तर से अपने जिले के विभिन्न प्रखंड के विभिन्न प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया को अपेक्षित सहयोग देने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाए।

चलाये जा रहे कार्यक्रम का ब्योरा निम्नवत है।

- १ वाल विवाह रोकथाम जागरूक्ता अभियान:— बाल विवाह से उत्पन्न विकृतियों और सामाजिक बुराइयों के प्रति आम नागरिक को जागरूक करने के लिए हमारे कार्यकर्ता राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर जागरूक्ता शिविर संगोष्ठी और नुक्कइ नाटक एवं सभा के माध्यम से लोगों को जागरूक करते है।
- श्रगतिवाद बाल विद्यालय:—प्रगतिवाद बाल विकास ट्रस्ट के अंतर्गत प्रगतिवाद बाल विद्यालय हर वार्ड में खोलकर उसके द्धारा उस वार्ड के 3 से ६ साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं पोषाहार देकर बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाता है।
- उ. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाः —ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो मे शिक्षित बेरोजगार युवक—युवितयों एवं मिहलाओं को स्वालंबी बनाने हेतु कला कम्प्यूटर सिलाई ,कटाई,बुनाई पेटिंग,सौन्दर्य प्रसाधन व्यावसायिक तकनिकी एवं गैर तकनिकी प्रशिक्षण देना।
- ४. ग्रामीण क्षेत्र मै सदस्य जाकर नाशा मुक्त जीवन जीने हेतु जागरुक्ता शिविर नुक्कइ सभा और जन सम्पर्क के माध्यम से जागरुक्ता लाने का कार्य कर रही।

- ५९. संस्था के उद्येश्यों की प्रासी हेतु सदस्या बनानः चूँकी वर्तमान में संस्था को किसी सरकारी /गैर सरकारी आर्थिक साहयता मुहैया नहीं कराई गयी है इसलिए संस्था अपने सदस्यों से चंदा प्राप्त कर उपर वर्णित कार्य करने के लिए कृत संकल्पित है।
- हैं. बेटी बचाओं बेठी पढाओं कन्या भ्रुण हत्या बाल मजदुरी और दहेज प्रथा की रोकथाम के लिए संस्था विशेष टीम गठित कर त्री स्तरिय व्यवस्था जिला,प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर सदस्य नियुक्त कर जागरुकता लाने का कार्य कर रही है।
- ण. गामीण एवं शहरी क्षेत्र में संस्था अपने सदस्यों के परिवार के लिए एक शादी कोष का गठन किया है जिसमे सदस्य के परिवार के बच्चों जिनकी आयु ०-१४ वर्ष होती है तो उका पंजीयन करती है। अनाथ एवं शारीरिक दिव्यांग बच्चों के लिए पंजीयन निशुल्क है। 18 वर्ष की आयु के उपरांत शादी होने पर प्रोत्साहन राशी अनुदान स्वरुप विवाह सामग्री के शादी समारोह में दी जाती है।

८. पर्यावरण संरक्षण हेतु लोगो को जागरुकता करना एवं वृक्ष -रोपण को बढावा देना । हरीत कांति के क्षेत्र मैं सरकार की विभिन्न योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों की अवगत करना।

 एक्त दान जीवन दान के अतर्गत आमलोगों को जागरुक्ता करना और बिहार के विभिन्न जिले में रक्त दान शिविर लगाने तािक पाकृति आपदा एवं आपातकालीन स्थिति मैं स्वास्थ्य जन सेवा मैं सहयोग करना ।

१०. प्रगतिवाद बाल विकास ट्रस्ट के अतर्गत ग्रामीण क्षेत्र मैं वार्ड स्तरिय प्रगतिवाद बाल विद्यालय की स्थापना की जा रही है इस विद्यालय को सुचारु रूप से चलाने हेतु सेविका सहायिका एवं सुपरवाइजर की चयनित संस्था के द्वारा किया जा रहा है।

१. भारत सरकार के कार्यक्रम स्वक्छता अभियान और खुले मैं शौच मुक्त भारत को विभिन्न माध्यम से

जागरुक्ता शिविर नुक्कइ नाटक द्वारा आम जनता को जागरुक करना ।

प्रार्थना है कि जिले के विभिन्न प्रखंड के विभिन्न प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया को अपेक्षित राहयोग देने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाए।

संस्था इस कार्य के लिए आपका आमारी रहेगा ।

अध्यक्ष / सचिव प्रगतिवाद बाल विकास द्रस्ट सुपौल, बिहार

President
Pragatived Pr